



# कार्यालय अंचल अधिकारी, लातेहार

आदेश पत्रक

(देखे नियम-हस्तक 1941 नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०..... से..... तक.....  
जिला-लातेहार..... सं०..... रान् 20.....  
केस का प्रकार... मु०५०- 7651, 7652, 7737, 7739 / 2022-23

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | आदेश पर की गई कं गारे में टिप्पणी सहित |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                      |
| 10.3.23                   | प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष उपस्थित।<br>आवेदक ने बताया कि मैं सन 1972 ई० को विक्रेता सयसुदीन मियां पिता - इमामन मियां हसीम मियां पिता - अलीमन मियां से 0.1320 तथा नन्हक मियां पिता - अलीमन मियां से 0.06 1/2 ए० भूमि खरीदा हूँ तथा तभी से क्रय की गई भूमि पर दरुल कब्जा में हूँ।<br>आपति कर्ता शरीफ अंसारी ने बताया कि मैं सन - 1961 में इसी भूमि को हमारे दादा शेख शब्दुल मियां ने करमत मियां से भूमि खरीद किया था, तथा उक्त भूमि पर मेरा दरुल कब्जा है। मैंने आवेदक से पूर्व इस भूमि को क्रय किया है।<br>अतः मेरे दादा के नाम से उक्त भूमि का नामांतरण किया जाय। इनके द्वारा बताया गया कि रियाजुद्दीन अंसारी का |                                        |

वर्षित भूमि पर कभी दखल कब्जा नहीं था ना ही उन्होंने कभी अपने अधिकार स्वत्व एवं दखल का उपयोग किया है।

अतः इनके नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल अमीन को निर्देश दिया जाता है कि ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थल जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख पुनः दिनांक 28/3/23 को उपस्थापित करें।

  
नि 3/23  
अंचल अधिकारी  
लातेहार।

8/3/23 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। पुनः जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 18/4/23 को उपस्थापित करें।

  
नि 28/3/23  
अंचल अधिकारी  
लातेहार

18/4/23 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

3

पाया कि ग्राम डुरुआ में दिनांक 16/4/23 को दोनों पक्ष एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थल जाँच किया गया। उपस्थित ग्रामीणों ने उक्त भूमि पर रियाजुद्दीन मियाँ का देखल कब्जा बताया गया। स्थल जाँच का फोटो अभिलेखबद्ध किया गया। इस संबंध में आवेदन रियाजुद्दीन अंसारी के द्वारा ग्रामीण अपने भूमि पर देखल कब्जा से संबंधित ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षर युक्त कागजात दिया गया है। इसे अभिलेखबद्ध किया गया। आपत्तिकर्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर देखल संबंधित पुनः जाँच करने का आग्रह किया गया है। इस अनुरोध पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः स्थल जाँच किया जायगा। अभिलेख जाँच के उपरान्त उपस्थापित करें।

16/4/23 अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 25.4.2023 अधिकारी

को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थल जाँच किया गया। आवेदक रियाजुद्दीन के चौखीदार अमानुतुल्लाह पिता हाजी गुलाम मोहम्मद, नसीमा बीबी पति स्व. इसान अंसारी

फुलमतिथा देनी 10/0 ओशन भुईयां एवं अन्य उपस्थित  
ग्रामीणों द्वारा लिखित बयान दिया गया कि भूमि  
पर रियाजुद्दीन अंसारी का जोत-कोड़ शुरू से  
अब तक रहा है, आपतिकर्ता का जोत-कोड़  
कब्जा कभी नहीं रहा है, इसे अभिलेख बंध  
किया गया।

पक्ष: विपक्ष के सुनने, राजस्व उप  
निरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन  
के प्रतिवेदन के अवलोकन तथा स्थल जाँच  
के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ  
कि आपतिकर्ता का यह कहना है कि आवेदक  
रियाजुद्दीन अंसारी का भूमि पर कब्जा नहीं है/  
गलत है, आवेदक का भूमि पर दखल कब्जा  
है।

अतः आवेदक रियाजुद्दीन अंसारी के  
नामांतरण वाद सं० 1614/2022-23 एवं 1615/22-23  
की अस्वीकृति दी जाती है, तथा आपति  
कर्ता के नामांतरण वाद सं० 1700/22-23 एवं  
1702/2022-23 को अस्वीकृत किया जाता है।  
लेखापत्र एवं संशोधित।

26/5/23  
अंचल अधिकारी  
लातेहार।

26/5/23  
अंचल अधिकारी  
लातेहार।

सेवा में

श्रीमान् अंचल अधिकारी

लातेहार

विषय: दाखिल खारीज केश न० 1615/2022-2023 के सम्बंध में

महाशय

V.O. 1  
18/4/23

सविनय निवेदन कहना है कि मैं रियाजुद्दीन अंसारी पिता स्व० मजीद मियां ग्राम डुडुवा थाना बो जिला लातेहार के स्थाई निवासी हूँ महाशय मैं नन्हक मियां पिता स्व० अलीमन मियां से मौजा डुडुवा खाता 01 प्लॉट न० 562 रकबा 13 डी० का केवाला कराया था जिसका केवाला न० 1518 दिनांक 09/11/1972 ई० है उसके बाद उक्त भूमि मैं मेरा दखल कब्जा शान्ति पूर्वक बिना विवाद होता चला आ रहा है महाशय दलालों की मिली भगत से वर्तमान में जमीन को अपना खानदानी बताकर सरीफ अंसारी के द्वारा नामान्तरण न करने की आपत्ति की गई है जबकि उक्त मौजा का सारी ग्रामीण जानते हैं की इस जमीन सरीफ मियां का कुछ नहीं है तथा 1972 से आज तक उक्त भूमि का सारा दखल कब्जा मेरा है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है की उचित कारवाई करते हुए मेरा नामान्तरण को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय इसके लिए श्रीमान् का सदा अगारी रहूंगा

गवाह

मो० मरिदुल्लाह रामसेवक प्रजापती  
गान्धिमो विवेक कुमार  
अपूरा अंसारी कानूनी सिद्ध  
रचनील अंसारी  
जगदीश राय शक्ति कुमार  
दलदल राय अमित कुमार  
वीरवल राम अनूप कुमार  
तसलीम रिश्वत कुमार  
मो० जमाल करीम अंसारी

रियाजुद्दीन अंसारी  
आपका विश्वासी -  
मो० अनामोल

मो० अनामोल  
मो० अनामोल  
मो० अनामोल

मो० अनामोल  
मो० अनामोल  
मो० अनामोल

मो० अनामोल  
मो० अनामोल  
मो० अनामोल

मो० अनामोल  
मो० अनामोल  
मो० अनामोल

सेवा में

श्रीमान् अंचल अधिकारी

लातेहार

विषय: दाखिल खारीज केश न० 1614/2022-2023 के सम्बंध में  
महाशय

सविनय निवेदन कहना है कि मैं रियाजुद्दीन अंसारी पिता स्व० मजीद मियां ग्राम डुडुवा थाना वो जिला लातेहार के स्थाई निवासी हूँ महाशय मैं नन्हक मियां पिता स्व० अलीमन मियां से मौजा डुडुवा खाता 01 प्लॉट न० 562 रकबा 6.50 डी० का केवाला कराया था जिसका केवाला न० 2468 दिनांक 06/11/1974 ई० है उसके बाद उक्त भूमि मैं मेरा दखल कब्जा शान्ति पूर्वक बिना विवाद होता चला आ रहा है जिसमें मेरा बाथरूम का निर्माण भी हुआ है जिसका उपयोग वर्तमान में भी कर रहा हूँ महाशय दलालों की मिली भगत से वर्तमान में जमीन को अपना खानदानी बताकर सरीफ अंसारी के द्वारा नामान्तरण न करने की आपत्ति की गई है जबकि उक्त मौजा का सारी ग्रामीण जानते हैं की इस जमीन सरीफ मियां का कुछ नहीं है तथा 1974 से आज तक उक्त भूमि का सारा दखल कब्जा मेरा है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है की उचित कारवाई

करते हुए मेरा नामान्तरण को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय

मो० आबिदुल हसन के लिए श्रीमान् का सदा अभारी रहूंगा

जवाब

मो० मुव निद्रा रामसेवक प्रजापती  
अपूर्व अंसारी विक्रम कुमार

खलाल मन्ना केशव शर्मा  
जगदीश राम मिरानी सिंह

अजय राम रोहित कुमार

वीश्वराम अमित कुमार

मो० अमीर अनीस कुमार

मो० इमरान रिशक कुमार

Abid करीम अंसारी

रियाजुद्दीन अंसारी  
आपका विश्वासी

मो० चंद्र चंद्र  
मो० वीरम सोपन  
मो० अजय नर बल्लभ  
मो० अजय नर

मो० शाहीद अंसारी  
Aqam Ansari

मो० अलीमा अंसारी  
मो० शल्लु अंसारी

मो० अलीमा अंसारी

मो० अलीमा अंसारी

Md. Hayan Ansari

Md. Tawar Ansari

सेवा में

मंसूर अधिकारी, जालंधार

विषय - नामान्तरण वाद सं. 1614/2022-23 एवं  
1615/2022-23 के का मरदीन के जमानत  
में चल रहे मुनवाई में प्राप्त मादेश के  
आलोच में हमली जॉन ततिवैल

महोदय,

V.O.S

उपरोक्त विषय के संबंध में कृपया  
हैं कि नामान्तरण वाद सं. - 1614/2022-23  
एवं 1615/2022-23 की मुनवाई मरदीन के का  
में चल रही है, आदेशानुसार दिनांक 16.4.2023  
को केरा, आवधिकारी तथा उपनिर्वाह आमीनों के  
उपनिर्वाह में हमली जॉन किया गया/जॉन के कम  
में पाया कि कागज - 01, एलार्ड - 562 के का डिग्री  
मुक्ति पर पड़ शॉपमाल केरा सिपापुरी कंसाली का बना  
हुवा है तथा काली मुक्ति पर पूर्ण सेर सिपापुरी कंसाली  
का सरसो लगा हुआ था जो कर लिया गया था।  
उपनिर्वाह आमीनों में से हमलुल्लाह पिता - गुलाब मोहम्मद,  
मूलाउल्लाह रिजवी पिता - मयूक सिन्हा, सलाउद्दीन पिता -  
दोस्त मोहम्मद, सुलेमान कंसाली पिता - (वि. मलुल हयत  
वसीर कंसाली पिता लंकु सिन्हा) से मुदनाद कि जाली  
सभी ने सिपापुरी कंसाली पिता - मलुल मलीह  
का दखल - कल्लो पूर्ण से कराया। हमल जॉन का  
कोर संलग्न।

विष्णु मल्ल

18.4.2023

18/4/23

आप मीठा 25.4.2023 को सायं 4:15 pm को  
 मंच पर गीत गाते हुए, अचानक उनकी पस बर्बाद होकर  
 उड़ती हुई उगीकरी से मीठा डबवा डे लारा - 01  
 लारा-562 पर दखल संबंधित विवाद को लेकर  
 स्थानीय कार्य किया गया मुक्ति डे - ओम्हाइतों से सुदवाक  
 किया गया पिन्डा बंधन निरस्त है -

1. अमानुल्लाह मिया - शही मुल्ला मोहम्मद (पश्किपत) मेंत कना है  
 कि मेरे बाल का लगी पहल से अमानुल्लाह मिया का मोर कोड का  
 रहे मैं अभी रिवाजुदीन मिलाती तान मोर कोड डिन जाना है
2. नलीमा बीबी परी - महुम बहाउ संजली - (पश्किपत) - मुझे कना है  
 कि इस मुक्ति पर रिवाजुदीन मिलाती मोर कोड करते हैं कभी  
 भी इससे का मोर कोड करते नहीं देखें हैं
3. फुलमलीया देवी परी - शौमक मुल्ला (पूरुष मिया) - मेरा कना है  
 कि मेरा घर पुरव मिया से हैं शुद्ध से ही रिवाजुदीन ही मोर कोड  
 करते हैं जसस हम भाए हैं तब से किसी इससे का मोर कोड करते  
 नहीं देखे हैं

उपरोक्त अन्य शारीरी ने भी बताया कि इस लालच  
 पर रिवाजुदीन मिलाती का मोर कोड है -

वि. फुलमलीया देवी

मीठा 25/4/23  
 मो 25/4/23

अलीमान

वि. बसीर मिया

बीबी अंकावी  
 25/4/23  
 25/4/23

वि. रतीर मिया

25/4/23

25/4/23  
 अलीम मिया  
 बसीर मिया

25/4/23

25/4/23  
 अलीम मिया  
 बसीर मिया



2.0.13  
22/11/13

